

:: आदेश ::

क्र. / ०९

/LADCS/2026

धमतरी दिनांक 20.04.2026

ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी के अंतर्गत स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम धमतरी के कार्यालय हेतु स्टॉफ के रिक्त कार्यालय सहायक/क्लर्क एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेण्डेंट) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संविदात्मक पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1408/LADCS-23-05/2024 दिनांक 19.05.2025 के अनुसार किये गये अनुमोदन के आधार पर चयनित कार्यालय सहायक/क्लर्क गौतम कुमार द्वारा दिये गये त्याग पत्र को स्वीकार किये जाने के उपरान्त प्रतीक्षा सूची के द्वितीय अभ्यर्थी के रूप में निम्नांकित उम्मीदवार को उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद एवं एकमुश्त मासिक संविदा मानदेय (रिटैनरशिप) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से दिनांक 15.05.2025 से दिनांक 14.05.2026 तक (पदग्रहण दिनांक से शेष अवधि तक) के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम एवं पता	पद का नाम	एकमुश्त मासिक संविदा मानदेय (रिटैनरशिप) की राशि
1	श्री टेश कुमार दीवान पिता भानू प्रसाद दीवान निवासी ग्राम दाबपाली, तहसील + वि.खं. बागबाहरा, थाना तेन्दूकोना, पोस्ट सुखरीडबरी, जिला महासमुन्द (छ.ग.) पिन नं. 493449	कार्यालय सहायक/क्लर्क	15000/-प्रतिमाह

नियुक्ति की शर्त :-

- उपरोक्त चयनित उम्मीदवार को दिनांक 27.04.2026 तक अपने पद का कार्यभार करना आवश्यक होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

2. चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जो आवेदन के साथ संलग्न है, कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक अथवा अन्य दस्तावेज किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।
3. चरित्र सत्यापन में अथवा किसी अन्य माध्यम से पदधारी की किसी प्रकार के अपराध में संलिप्तता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उनकी सेवाएं कभी भी बिना कोई कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह के वेतन का भुगतान कर उन्हें तत्काल सेवा से मुक्त किया जावेगा।
5. लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु अतिरिक्त रूप से नियुक्त Spporting staff कार्यालय सहायक (Office Assistant) पद के स्टाफ की पूर्णतया अनुबंधित संविदात्मक नियुक्ति माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य संरक्षक महोदय के अनुमोदन दिनांक 15.05.2025 से 14.05.2026 तक (पदग्रहण दिनांक से शेष अवधि तक) की अवधि के लिए होगी। जिनका कार्यकाल/कार्यावधि नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों के कंडिका-4 के प्रावधानुसार तथा नालसा से प्राप्त जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा।
6. लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु अतिरिक्त रूप से नियुक्त Spporting staff कार्यालय सहायक (Office Assistant) पद के स्टाफ का मानदेय सालसा का पत्र क्रमांक/1730/LADCS/2023 बिलासपुर दिनांक 26.06.2023 के बिन्दु क्रमांक-03 में निर्धारित क्लास-ए, क्लास-बी एवं क्लास-सी तीनों में एक का चयन अपने तीनों में जो इस जिले के लिए पूर्व में निर्धारित हुआ है, चयन के आधार पर मानदेय निर्धारित किया गया है।
7. अतिरिक्त रूप से नियुक्त किये गये Spporting staff कार्यालय सहायक (Office Assistant) से नालसा से प्राप्त **संविदात्मक अनुबंध (Contractual**

Engagement) पत्र की शर्तों को मान्य किये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित प्रथमतः किया जावेगा।

उक्त अनुबंध पत्र में नालसा के पत्र क्रमांक F.No. L-27/2022-NALSA(Part File)4678-4714 dated 27th March, 2024 के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत तथा **नालसा से प्राप्त पत्र क्रमांक** F.No. L-27/2022/NALSA/415 dated 16th April, 2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नीचे उल्लेखित अनुबंध की शर्तें में अनिवार्यतः सम्मिलित करते हुए अनुबंध भरा जाना है :-

" You will not be entitled to a regular government post, salary, or benefits, as the payment is based on honorarium or retainership, and not on a salary basis."

“आपको नियमित सरकारी पद या सरकारी वेतन, या सुविधाओं का अधिकार नहीं होगा क्यों मानदेय या रिटेनरशीट के आधार पर और वेतन के आधार पर नहीं। ’

उपरोक्तानुसार अनुबंध की शर्तें एवं पूर्व निर्धारित सम्पूर्ण अनुबंध की शर्तों को मान्य करते हुए, संविदात्मक अनुबंध पत्र नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों के कंडिका-4 के प्रावधान अनुसार संचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अनुबंधकर्ता के मध्य की जावेगी तथा अनुबंध पत्र में अनुबंधकर्ता के पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर, स्पष्ट हस्ताक्षर दिनांक सहित, पूरा नाम एवं पता दिनांक सहित तैयार किया जावें।

8. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के द्वारा नालसा के पत्र क्रमांक/एल/20/2019-नालसा दिनांक 24 अगस्त, 2022 के साथ संलग्न पूर्व में प्रेषित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, तथा उसी के अनुसार नियुक्त स्टाफ की सेवा भी समाप्त की जा सकेगी। साथ ही नालसा का पत्र क्रमांक F.N.L/20/2019-NALSA dated 11-02-2023 एवं पत्र क्रमांक F.N.L/20/2019-NALSA dated 14-02-2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यों को, नियुक्त किये गये

स्टाफ कार्य सम्पादित करेंगे, यदि कार्य संतोषजनक नहीं होने पर, अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तथा आपराधिक, राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी, ऐसे स्टाफ की सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

9. Sporting staff (Office Assistant & Office Peon) लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेंगे।
10. जिलें में अतिरिक्त रूप से नियुक्त किये जाने वाले Sporting staff (Office Assistant & Office Peon) को नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों का अक्षरतः पालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

(माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी द्वारा अनुमोदित)

Netai Sende
सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला-धमतरी (छ.ग.)

धमतरी दिनांक 20.04.2026

पृ. क्र. / 580 / LADCS / 2026
प्रतिलिपि :-

01. माननीय सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. श्रीमान अध्यक्ष, भर्ती चयन समिति, जिला एवं सत्र न्यायालय धमतरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. कार्यालय, लीगल एड डिफेंस कौंसिल धमतरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. स्थापना लिपिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. श्री टेश कुमार दीवान पिता भानू प्रसाद दीवान, निवासी ग्राम दाबपाली, तहसील + वि.खं. बागबाहरा, थाना तेन्दूकोना, पोस्ट सुखरीडबरी, जिला महासमुन्द (छ.ग.) पिन नं. 493449 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

Netai Sende
सचिव, 20/04/26

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला-धमतरी (छ.ग.)